बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा)

हिन्दी पांडुलिपि–प्रकाशन अनुदान हेतु विभागीय मार्गदर्शक सिद्धान्त

राजभाषा हिन्दी के सर्वतोमुखी विकास के लिए बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान की वार्षिक योजना चलायी जा रही है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्व से प्रवृत मार्गदर्शक सिद्धान्त को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है:–

1. हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में मौलिक एवं उत्कृष्ट लेखन के लिए वैसे साहित्यकारों को पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान देय होगा जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी पांडुलिपि को प्रकाशित कराने में असमर्थ हैं।
2. साहित्यकारों को इस आशय का एक स्वघोषणा–पत्र देना होगा कि वे आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी रचना प्रकाशित कराने की स्थिति में नहीं हैं।
3. यह अनुदान शोध–प्रबंध पर देय नहीं होगा।
4. अस्पष्ट/अपठनीय, अस्त–व्यस्त, पृष्ठ संख्या रहित तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। पांडुलिपि पर पांडुलिपि का नाम, लेखक का नाम एवं पिन कोड सहित पूरा स्थायी पता तथा मोबाइल नं० देना अनिवार्य होगा। आवश्यक होने पर विभाग लेखक के स्थाई पते एवं दिये गये मोबाइल नं० पर संपर्क करेगा। आवेदन–पत्र के साथ लेखक के आधार कार्ड की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा।
5. इस योजना के अधीन स्वीकार की जानेवाली पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या एक सौ से कम नहीं होगी।

6. यह अनुदान बाजार में पुस्तक मुद्रण की वास्तविक दर के हिसाब से पूर्ण अनुदान न होकर अंशानुदान हो सकता है।

7. अनुदान प्राप्ति के छह महीने के भीतर लेखक के लिए पांडुलिपि को प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा तथा अनुदान से प्रकाशित पुस्तक की तीन प्रतियाँ विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करानी होंगी। अनुदान प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर पुस्तक प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अनुदान की संपूर्ण राशि एक मुश्त विभाग को लौटानी होगी। अनुदान राशि वापस नहीं करने की स्थिति में लेखक को विभाग द्वारा स्मार दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि लेखक राशि वापस नहीं करता तो विभाग लेखक पर राशि की वापसी हेतु विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेगा।

8. अनुदान से प्रकाशित पुस्तक के पत्रावरण पृष्ठ पर 'मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) के अनुदान/अंशानुदान से प्रकाशित' मुद्रित करना अनिवार्य होगा।

9. अनुदान प्राप्त कर पुस्तक प्रकाशित नहीं करने के लिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा कि अनुदान राशि पुस्तक के प्रकाशन के लिए पर्याप्त नहीं है।

10. अनुदान राशि हर हाल में लेखक को (उसके किसी परिजन, पुत्र, उत्तराधिकारी या संबंधी को नहीं) प्रदान की जाएगी। राशि उसके अपने बैंक खाते में डाली जाएगी।

11. यदि किसी लेखक को किसी विधा में एक बार प्रकाशन अनुदान प्राप्त हो जाता है तो वह आगामी पाँच वर्षों तक प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

12. अनुदान प्राप्त पांडुलिपि की एक प्रति तथा अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पांडुलिपि की दोनों प्रतियाँ लेखक द्वारा माँगे जाने पर विभाग द्वारा वापस कर दी जाएँगी।

13. अनुदान हेतु पांडुलिपियों का चयन तथा उनके प्रकाशन हेतु राशि का निर्धारण विभाग की 'पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान समिति' द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

14. प्रकाशन अनुदान समिति का गठन निम्नरूप में किया जाएगा :

(i)	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजभाषा	–	अध्यक्ष
(ii)	स्थानीय हिन्दी विद्वान	–	सदस्य
(iii)	स्थानीय हिन्दी विद्वान	–	सदस्य
(iv)	निदेशक, राजभाषा	–	सदस्य सचिव

15. अनुदान समिति का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष होगा। परन्तु सरकार इस अवधि को बढ़ाने में सक्षम होगी।

13/12/2024
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, 2024–25

(8)

विहित आवेदन–पत्र

सेवा में,

निदेशक,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा),
सी/211, आफिसर्स हॉस्टल,
(बिहार म्यूजियम के सामने)
बेली रोड, पटना–800001

पासपोर्ट
आकार का
फोटो

1. **लेखक/कवि का नाम :**
....

2. पिता/पति का नाम : ....
3. पूरा पता : ....
....
.... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

मोबाईल/फोन नं० (स्थानीय कोड सहित) : ....
ई–मेल : ....

4. **पांडुलिपि का विवरण :**
नाम : ....
विधा : ...., पृष्ठों की कुल संख्या :.......................................

5. **बैंक खाता विवरण :**
आवेदक का बैंक खाते में नाम अंग्रेजी के बड़े (Capital) अक्षरों में ....
बैंक का नाम : .... शाखा का नाम : ....
खाता संख्या : .... आई.एफ.एस.सी. कोड : ....
(पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति तथा पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है)।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा पूर्व में यदि अनुदान प्राप्त हुआ हो तो अनुदान प्राप्ति का वर्ष : ....

7. **घोषणा** : मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत पाँच वर्षों के भीतर मुझे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) का हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए मेरे द्वारा जमा की जा रही पांडुलिपि मेरी मौलिक एवं अप्रकाशित कृति है। इसमें कहीं भी प्रकट या प्रच्छन्न रूप से किसी व्यक्ति/जाति/वर्ग/समुदाय/धर्म/सरकार आदि के विरूद्ध व्यक्तिगत/द्वेषपूर्ण/आपत्तिजनक/राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध टिप्पणी नहीं की गयी है। *मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि अपनी पांडुलिपि को अर्थाभाव के कारण प्रकाशित कराने में असमर्थ हूँ।* अनुदान प्राप्त होने पर यदि मैं पांडुलिपि प्रकाशित कराने में असफल रहा/रही तो अनुदान की राशि एक वर्ष के अंदर वापस कर दूँगा/दूँगी।
पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान के लिए निर्धारित सभी शर्ते मुझे मान्य हैं।

स्थान : ....

दिनांक : .... (आवेदक का पूरा हस्ताक्षर)